



## भारतीय संविधान दिवस “नागरिकों के मौलिक अधिकार”

दिनांक 29 जून, 2020




निदेशक वन उत्पादकता संस्थान रांची के सक्रिय पहल एवं समूह समन्वयक (अनुसंधान) के सफल मार्गदर्शन में आज दिनांक 29.06.2020 को आभासी मंच के माध्यम से भारतीय संविधान के 70वें वर्षगांठ के सुअवसर पर “नागरिकों के मौलिक अधिकार” विषय पर अनुसंधानकर्मियों/शोधकर्ताओं द्वारा व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें संस्थान के समस्त वैज्ञानिकों, तकनीकी अधिकारी, कर्मचारी, अनुसंधान सहकर्मियों सहित लगभग 40 सदस्यों ने आभासी मंच (Virtual Platform) के माध्यम से भाग लिया।

श्रीमती रूबी एस. कुजूर के संचालन में स्वागतोपरान्त संस्थान के निदेशक डॉ. नितिन कुलकर्णी ने भारतीय संविधान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए 70वें वर्षगांठ की बधाई दी। उन्होंने बताया कि संविधान हमें अनुशासित एवं देश के प्रति उत्तरदायी बनाती है। सरकार के दिशानिर्देशानुसार 70वें वर्षगांठ के अवसर पर प्रत्येक माह हमें किसी उचित कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से संविधान दिवस मनाया जा रहा है ताकि हम तथा युवा पीढ़ी संविधान के प्रति जागरूक एवं निष्ठावान बने रहे। मौलिक अधिकार की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि अधिकार के साथ कर्तव्य का पालन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संक्षिप्त संबोधन में समूह समन्वयक (अनुसंधान) ने संविधान के प्रति जागरूक रहते हुए इसके अनुपालन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित रखने पर बल दिया।

व्याख्यान प्रतिभागियों में अनुसंधानकर्मी श्री हरेराम साहु ने मानव अधिकारों के लिए प्रेरणा श्रोत बने कुछ दिवंगत हस्तियों की चर्चा की। मार्टिन लूथर, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, अबुल कलाम आजाद जैसे हस्तियों का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि मानव अधिकार की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए इन हस्तियों ने विश्व में अद्वितीय कार्य किया जिसके चलते उन्हें सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ।

आशीष कुमार सिंह ने संविधान प्रदत्त नागरिकों के सभी छः अधिकारों से मंच को परिचित कराया। अन्य वक्ता मीनाक्षी कुमारी ने बड़े ओजस्वी संवाद के माध्यम से मानव अधिकारों की आवश्यकता, अंग्रेजों द्वारा अधिकार हनन आदि को प्रस्तुत किया तथा समझाने का प्रयास किया कि मौलिक अधिकार की आवश्यकता संविधान में क्यों सम्मिलित करनी पड़ी? श्री मुजीब रहमान ने संविधान में वर्णित सभी अधिकारों की व्याख्या की और बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा गोपनीयता का अधिकार दिए जाने की भी चर्चा की। कार्यक्रम समापन से पूर्व निदेशक डॉ. नितिन कुलकर्णी ने व्याख्यानकर्ताओं एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया एवं अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों को स्मरण रखने का आहवाहन किया।

श्रीमती रूबी एस. कुजूर ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यक्रम समापन की घोषणा की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्थान के विस्तार प्रभाग के मुख्य तकनीकी अधिकारी, श्री एस. एन. वैद्य, श्री बी. डी. पंडित, तकनीकी अधिकारी, श्री सुरज कुमार, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, श्री बसंत कुमार, तकनीकी सहायक एवं श्री आदर्श राज का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसकी भूरी-भूरी प्रशंसा निदेशक महोदय द्वारा व्यक्त की गई।



आभासी मंच (Virtual Platform) के माध्यम से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार पर कार्यक्रम की झलकिया



आभासी मंच (Virtual Platform) के माध्यम से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार पर कार्यक्रम की झलकिया